

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 46/2024

- | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. हरफुल | पुत्रगण | जाति जाट निवासी चक 46 एन.डी.आर. |
| 2. हंसराज | स्व. सहीराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ |
| 3. अनुज पुत्र | स्व. महेन्द्र | राजस्थान। |
| 4. अक्षय कुमार पुत्र | गणेशाराम | |



-वादीगण-

बनाम.

- | | | |
|--|------------------------|---|
| 1. उग्रसेन पुत्रगण | | जाति जाट |
| 2. कृष्ण कुमार | स्व. ओमप्रकाश | निवासी |
| 3. भागवन्ती | पत्नी स्व. ओमप्रकाश | हरीपुरा |
| 4. सावित्री पत्नी स्व. गोपीराम | | तहसील |
| 5. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. गोपीराम | | संगरिया |
| 6. गंगादेवी पत्नी स्व. रामकुमार | | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 7. देवेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामकुमार | जाति जाट निवासी | हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 8. तीर्थराज पुत्र स्व. रामकुमार | जाति जाट निवासी | हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये कुदरति बली माता गंगादेवी पत्नी स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। |
| 9. सुलोचना पुत्री गोपीराम पत्नी श्री पृथ्वी | जाति जाट निवासी | बणी तहसील राणियां जिला सिरसा हरियाणा। |
| 10. संतोष पुत्री स्व. श्री गोपीराम पत्नी | जगदीश जाति जाट निवासी | राजपुरा तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब। |
| 11. सावित्री | पत्नी स्व. बृजलाल | |
| 12. रणजीत | पुत्रगण | जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील |
| 13. सरजीत | स्व. बृजलाल | संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 14. अनिता (जानकी) पुत्री स्व. श्री बृजलाल पत्नी | हंसराज जाति जाट निवासी | नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 15. कैलाश पुत्री स्व. श्री बृजलाल पत्नी श्री सतवीर | जाति जाट निवासी | रामगढ़ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 16. लांबाराम पुत्र स्व. श्री हेतराम | जाति जाट निवासी | हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |



3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



17. भागवन्ती पुत्री स्व. हेतराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कनवाली
18. रोशनी पुत्री स्व. हेतराम पत्नी पृथ्वीराज तह. व जिला हनुमानगढ़।
19. रामेती पत्नी स्व. श्री सहीराम जाति जाट निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान।
20. कमला देवी पुत्री स्व. सहीराम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी दुधवाली
21. सीतादेवी पुत्री स्व. हरीराम पत्नी महावीर ढाणी तह. व जि. हनुमानगढ़
22. रानीदेवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
23. किरन पुत्री स्व. श्री महेन्द्र पत्नी सुदेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
24. मनीषा पुत्री स्व. महेन्द्र पत्नी अनिल गोदारा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
25. शिवानी पुत्री स्व. श्री महेन्द्र पत्नी सुनील जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
26. गणेशाराम पुत्र स्व. भादरराम जाति जाट निवासी 46 एन.डी.आर.
27. कलावती पत्नी गणेशाराम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
28. विमला पुत्री गणेशाराम पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
29. राजो पुत्री गणेशाराम पत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
30. मायादेवी पुत्री गणेशाराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढाबा
31. सरोज पुत्री गणेशाराम पत्नी लालचन्द्र तहसील व जिला हनुमानगढ़।
32. मीरां पुत्री श्री गणेशाराम पत्नी अविनाश जाति जाट निवासी 8. एफ. डी.एम. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
33. कलावती उर्फ कौशल्या पुत्री श्रीगणेशाराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण—

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन व घोषणा
डिक्री**

दिनांक :- 20/08/25

वादी की ओर से श्री मदन लाल परीक, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है—

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीली



वादी सं. 1 हरफुल को प्राप्त भूमि	चक 46 एन.डी.आर. के प.न. 60/340 (26) के किला नं. 7/127, 8, 13, 14, 17/1.012, 18/209 दक्षिण दिशा, 24/1/228, 3/.106 मध्य की भूमि कुल 1.682 हैक. व प.न. 59/340 (25) के किला नं. 11/.092 पूर्व दिशा, 20/1/.119 पूर्व दिशा, 21/2/.069 पूर्व दिशा कुल 280, 12/.020 पश्चिम दिशा, 19/.020 पश्चिम दिशा, 22/.021 पश्चिम दिशा की .061 हैक. कुल .341 हैक. दोनो प.न. की कुल 2.023 हैक.।
वादी सं. 2 हंसराज को प्राप्त भूमि	चक 46 एन.डी.आर. के प.न. 60/340 (26) के किला नं. 2/.078 उतर दिशा व प.न. 59/340 (25) के किला नं. 1-2-3-8/1.012, 9-10/0.506, 11/.080 उतर दिशा, 12/.080 उतर दिशा की 1.678 हैक., 13/.089 मध्य, 18/.089 मध्य, 23/.089 मध्य की .267 हैक. की 1.945 हैक. इस प्रकार कुल 2.023 हैक.।
वादी सं. 3 अनुज को प्राप्त भूमि	चक 46 एन.डी.आर. के प.न. 60/340 (26) के किला नं. 2/.078 दक्षिण दिशा व प.न. 59/340 (25) के किला नं. 5/.253, 4/.253, 6/.225 उतर दिशा, की .731 हैक., 7, 14, 17, 24 की 1.012 हैक., 13/.068 पूर्व दिशा, 18/.068 पूर्व दिशा, 23/.068 पूर्व दिशा की .204, कुल की 1.947, कुल 2.025 हैक.।
वादी सं. 4 अक्षय को प्राप्त भूमि	चक 46 एन.डी.आर. के प.न. 60/340 (26) के किला नं. 1/.234, 2/.078 पूर्व दिशा, 3/.078 पश्चिम दिशा, 3/.050 पूर्व दिशा, 4/.234, 5/.234 की 0.908 हैक, 6/.253, 7/.126 उत्तर दिशा, 9/.253, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 15/.253, 16/.253 की 1.897 हैक. 18/.044 उतर दिसा, 19-20/.506, 21/1/.228, 22/1/.228, 23/1/.228, 25/1/.228 की 1.462 हैक. कुल 4.267 हैक. व प.न. 59/340 (25) के किला नं. 6/.028 दक्षिण दिशा, 15-16-25/0.759 की 0.787 हैक., किला नं. 11/.081 पश्चिम दिशा, 20/1/.109 पश्चिम दिशा, 21/2/.058 पश्चिम दिशा की 0.248 हैक., 12/.153 पूर्व दिशा, 19/.233 पूर्व दिशा, 22/.232 पूर्व दिशा की 0.618 हैक., 13/.096 पश्चिम दिशा, 18/0.096 पश्चिम दिशा, 23/.096 पश्चिम दिशा की 0.288 हैक. की 1.154 हैक. इस प्रकार कुल 6.208 हैक.।

चक 46 एनडीआर के प. न. 59/339 (22) किला नं. 1/1 ता 25/2 की 6.325 हैक. क.अ. क. मय गै.मु. भूमि में प्रतिवादी सं. 19 ता 21 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टेयर भूमि में वादीगण सं. 1 से 3, हरफुल-हंसराज तथा अनुज ब.हि.ब. तथा स्व. महेन्द्र पुत्र सहीराम के नाम दर्ज 1/25 हिस्सा का वादी संख्या 3 अनुज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प.न. 60/340 के किला नं. 1 से 5 प्रत्येक में 0.019 हैक. भूमि उतर दिशा में कुल 0.095 हैक. भूमि वादीगण की ब.हि.ब. दर्ज की जावे। इसी प्रकार से खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/08/25..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी पीली